

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : २६ फरवरी, 2013

विषय: बाढ़ से वर्ष 2012 में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-240(1)/राहत लिपिक/2012-13, दिनांक— 12 अक्टूबर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ से वर्ष 2012 में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्बन्ध में जिला स्तरीय राहत समिति की बैठक दिनांक 08.10.2012 में अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 द्वारा कुल धनराशि रु० 36,54,26,000/- की मांग की गयी है। अतः विभिन्न विभागों के रु० 50.00 लाख तक के मरम्मत आदि अनुमोदित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल धनराशि रु० 18,27,13,000/- (रुपये अट्ठारह करोड़ सत्ताइस लाख तेरह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र०सं०	विभाग विभाग का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	मांगी गयी धनराशि (रु० में)	अवमुक्त धनराशि (रु० में)
1	लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड सिद्धार्थनगर	02	39,24,000	19,62,000
2	लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-१ इटवा	07	1,29,80,000	64,90,000

3	लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, बॉसी	02	39,30,000	19,65,000
4	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सिद्धार्थनगर	21	3,80,69,000	1,90,34,500
5	सिंचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर	79 (9 कराये गये कार्य सम्मिलित हैं)	20,48,48,000	10,24,24,000
6	डेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर	53 (1 कराया गया कार्य सम्मिलित हैं)	9,86,76,000	4,93,38,000
7	जल निगम सिद्धार्थनगर	01	28,50,000	14,25,000
8	बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर	04	1,49,000	74,500
	योग	169	36,54,26,000	18,27,13,000

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीषक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८ / पी०ए०स०आ०० / 2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7 / 2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785 / 1-10-2011-12(73) / 2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० 1349 / 1-10-2012-12(73) / 2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।
5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में समर्पण पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोर्चक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के


उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश सं0 2660 / 1-10-2012-रा0-10-33(171) / 2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कराये गये कार्यों की प्राककलित धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का धनावंटन किया जाय। अन्य कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी मात्रा/आकार के आधार पर वास्तविक लागत का धनावंटन किया जाय।
7. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित

किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693/1-11-2005-रा०-11, दिनोंक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(एल० वेंकटेश्वरलू)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : ५८३(१)/१-१०-२०१३-१२(६६) / २०१२, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2— आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती/प्रमुख सचिव, सिंचाई/ल००नि० विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/नगर विकास/बेसिक शिक्षा विभाग।
- 3— प्रमुख अभियंता/सिंचाई/ल००नि०विभाग, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम एवं निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग।
- 4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।

- 6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7— मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
- ✓ 8— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
- 9— समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 10— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(विनोद कुमार शर्मा)
अनुसचिव।